आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 248/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक शाखा चांदपोल, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

वनाम

1. मैसर्स टी डिस्ट्रीब्यूटर इण्डिया प्रा॰ लि॰ निदेशक
   श्री रामावतार शाह, श्री प्रदीप शाह एवं श्री आदित्य विक्रम शाह
   पता–410 गोविन्दराव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर ।
2. रामावतार शाह निदेशक मैसर्स टी डिस्ट्रीब्यूटर इण्डिया प्रा॰ लि॰
3. प्रदीप शाह निदेशक मैसर्स टी डिस्ट्रीब्यूटर इण्डिया प्रा॰ लि॰
4. आदित्य विक्रम शाह मैसर्स टी टी डिस्ट्रीब्यूटर इण्डिया प्रा॰ लि॰
5. रामावतार शाह पुत्र श्री रामेश्वर लाल शाह
   पता–मकान नम्बर ए–16, साईन्स पार्क के पास, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर।
   स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद के कानूनी उत्तराधिकारी
6. श्री अमित शाह पुत्र श्री सुरेन्द्र शाह
7. श्री राम प्रकाश शाह पुत्र स्व॰ श्री महावीर प्रसाद शाह
   मकान नं॰ ए–16, साईन्स पार्क के पास, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर।
8. मैसर्स ए. वी. शाह एण्ड कम्पनी प्रोपराईटर श्री आदित्य विक्रम शाह
   पता–410 गोविन्दराव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर ।
9. आदित्य विक्रम शाह पुत्र श्री प्रदीप शाह
10. रामावतार शाह पुत्र श्री रामेश्वर लाल शाह
    स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद के कानूनी उत्तराधिकारी
11. श्री अमित शाह पुत्र श्री सुरेन्द्र शाह
12. श्री राम प्रकाश शाह पुत्र स्व॰ श्री महावीर प्रसाद शाह
    मकान नं॰ ए–16, साईन्स पार्क के पास, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर।
13. मैसर्स घृति टी कम्पनी प्रोपराईर श्रीमती नीरू शाह पत्नी प्रदीप शाह
    पता–410 गोविन्दराव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर ।
14. श्रीमति नीरू शाह पत्नी श्री प्रदीप शाह
15. रामावतार शाह पुत्र श्री रामेश्वर लाल शाह
    स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद के कानूनी उत्तराधिकारी
16. श्री अमित शाह पुत्र श्री सुरेन्द्र शाह
17. श्री राम प्रकाश शाह पुत्र स्व॰ श्री महावीर प्रसाद शाह
    मकान नं॰ ए–16, साईन्स पार्क के पास, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर।
18. मैसर्स राजस्थान ट्री ट्रेडर्स प्रोपराईटर श्री प्रदीप शाह
    पता–410 गोविन्दराव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर ।
19. प्रदीप शाह पुत्र श्री रामावतार शाह
20. रामावतार शाह पुत्र श्री रामेश्वर लाल शाह
    स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद के कानूनी उत्तराधिकारी
21. श्री अमित शाह पुत्र श्री सुरेन्द्र शाह
22. श्री राम प्रकाश शाह पुत्र स्व॰ श्री महावीर प्रसाद शाह
    मकान नं॰ ए–16, साईन्स पार्क के पास, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः–आर वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 20.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी रामावतार शाह एवं महावीर प्रसाद शाह के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति मकान नम्बर ए–16, साईन्स पार्क के पास सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर क्षेत्रफल 490 वर्गगज को वन्धक रख कर दिनांक 20.12.2017 को 58,00,000/–रूपये, दिनांक 20.07.2020 को 11,60,000/–रूपये, दिनांक 01.11.2017 को 50,00,000/–रूपये, दिनांक 20.07.2020 को 10,00,000/–रूपये, दिनांक 01.11.2017 को 50,00,000/–रूपये, दिनांक 20.07.2020 को 10,00,000/–रूपये दिनांक 16.11.2017 को 50,00,000/–रूपये, एवं दिनांक 20.07.2020 को 10,00,000/–रूपये कुल राशि 2,49,60,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.04.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction ofFinancial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास वन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 2,49,60,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 2,43,28,608.57 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.04.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रामावतार शाह एवं महावीर प्रसाद शाह के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति मकान नम्बर ए–16, साईन्स पार्क के पास, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर क्षेत्रफल 490 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

6. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 20.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर